प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत अभियुक्त को हुई 10 वर्ष कारावास व अर्थदंड की सजा

दिनांकः-30.09.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

इस क्रम में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला संबंधी अपराधों में सतत पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 30.09.2021 को माननीय न्यायालय में प्रचलित वाद में माननीय न्यायलय द्वारा विचारण पूर्ण कर 10 वर्ष कठोर कारावास एवम् 3,000/- रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। थाना अटरिया से सम्बन्धित मु0अ0सं0 158/15 धारा 498A/304B/302/323/34 भादवि व 4 डी.पी एक्ट बनाम परवेश यादव पुत्र कन्हैया लाल निवासी ग्राम शीतलपुरवा मजरा कठवा थाना अटरिया जनपद सीतापुर में अटरिया पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 30.09.2021 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-06 सीतापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त परवेश यादव उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 304 बी भादवि में 10 वर्ष कठोर कारवास, धारा 498ए भा.द.वि में 01 वर्ष कठोर कारावास व 1,000/- रूपए अर्थदण्ड, धारा 323 भा.द.वि में छः माह कारावास व 1,000/- रूपए अर्थदण्ड तथा धारा 4 डीपी एक्ट में 01 वर्ष कठोर कारावास व 1,000/- रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

....